कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 2021031 दिनांक 25.11.2020

पत्र सं0–आई0टी0–नोटिस एवं कर निर्धारण/डीलर्स मार्किंग/2019–20/ 431 /वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: 24 नवम्बर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के प्रथम तिमाही के डीलर्स की टर्नओवर मार्किंग की जानी है जिसके अन्तर्गत रू0–12.5 लाख से कम व रू0–12.5 लाख से अधिक की मार्किंग के पश्चात् रू0–12.5 लाख तक के व्यापारियो को निम्न मानकों/पैरामीटर पर मार्किंग का कार्य प्रत्येक पत्रावली पर पूर्ण सजगता के आधार पर किया जाना है।

उल्लिखित पैरामीटर निम्न प्रकार हैं :–

1. सचल दल/वि0अनु0शा0 इकाई द्वारा कोई जॉच करते हुए ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में कर अपवंचना का स्पष्ट बिन्दु प्रकाश में लाये गये हो।
2. व्यापारी के सम्बन्ध में कर अपवंचन के स्पष्ट बिन्दु प्रकाश में लाये गये हो।
3. रियायती दर/करमुक्ति से सम्बन्धित बिक्री के समस्त प्रमाणपत्र/घोषणा पत्र/फार्म दाखिल नहीं किये गये हों।

मार्किंग का उक्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 30.11.2020 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) निरन्तर उपरोक्त कार्य का अनुश्रवण करेंगे।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।